ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ल संख्या:– 21 / 2019 निर्णय दिनांक :– 28.02.22

वानी दावा :

1. ऋषिराज पुत्र लादू जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी डाबरकलां खुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रेम देवी बेवा लादू उम्र 65 वर्ष निवासी डाबरकलां खुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गोरीशंकर पुत्र लादू आंयु 22 वर्ष निवासी डाबरकलां खुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. अभयसिंह पुत्र लादू नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रेमदेवी बेवा लादू जाति मीणा निवासी डाबरकलां खुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. दुर्गालाल पुत्र लादू नाबालिग जरिये सरक्षक माता प्रेमदेवी बेवा लादू जाति मीणा निवासी डाबरकलां खुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादीगण –

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र अम्बालाल जाति मीणा आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. टोडरमल पुत्र हीरालाल जाति मीणा आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. धर्मराज पुत्र शंकरलाल जाति मीणा आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. बैंक ऑफ बडोदा शाखा देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) देवली जिला टोंक।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता वादीगण

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

दावा बंटवारा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता लादू बलदेवा जाति मीणा निवासी ग्राम डाबरखुर्द की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2062 से 2065 में वर्णित आराजी भूमि ख0नं0 14 रकबा 0.95 है0 किस्म बारानी 1 व ख0नं0 52 / 1071 रकबा 0.22 है0 किस्म बारानी 1, ख0नं0 51 रकबा 0.43 है0 किस्म बारानी 1 व ,ख0नं0 93 रकबा 1.62 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 4

Scanned with CamScanner

रकबा 3.22 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में है। वादीगण के पिता ने दिनांक 23.04.2010 को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 बाबूलाल व डरमल को ख0नं0 51 रकबा 0.43 है0 में से 0.20 है0 भूमि दक्षिण दिशा में तथा ख0नं0 52/1071 रकबा 0.22 है0 में से 0.07 है0 दक्षिण दिशा में भूमि विक्रय की थी तथा दिनांक 23.04.2010 को प्रतिवादी नं0 3 धर्मराज को ख0नं0 51 रकबा 0.43 है0 में से 0.13 है0 भूमि भी दक्षिण दिशा के तरफ की विक्रय की गयी थी। वादीगण के पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं किया गया था उक्त भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी तथा वादीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 5 का संयुक्त रूप कब्जा काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने बिना विधिवत बंटवारा किये ही राजस्व कर्मचारियों से मिलकर हाल नक्शा ट्रेस व हाल जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 में अपना नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को वादीगण के पिता लादू द्वारा विक्रय की गयी भूमि में से दक्षिण की तरफ 12 फीट चौडे रास्ते की तरफ की भूमि पर विक्रय के समय मौके पर कब्जा दिया गया था उसी अनुसार प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 ने दक्षिण दिशा की तरफ ही मकान बनाये है। वाद पत्र के चरण नं0 1 में वर्णित भूमि में उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर आने–जाने का रास्ता होने के कारण वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण को दक्षिण दिशा की तरफ की भूमि ही विक्रय की थी। शेष उत्तरी हिस्सा वादीगण के पिता के समय से ही वादीगण उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के उत्तरी हिस्से में जानवरों के लिये चारा–भूसा रखने के लिये बाडा व गर्मी–सर्दी व वर्षा के बचाव व आराम करने लिये उपयोग–उपभोग हेतु मकान बना रखे है तथा वहीं खेती करते है। वाद कारण 10 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता3 ने वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के उत्तरी हिस्से में नुकसान पहुंचाने की नियत से अवैध रूप से ख0नं0 1121/51 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1123/52 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 1120/51 रकबा 0.13 है0 का डाबरखुर्द का राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकन करा लिये जाने के कारण उत्पन्न हो रहा है।

प्रतिवादीगणकी तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री श्री राजेश जैन अधिवक्ता ने ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–वाद पत्र

Scanned with CamScanner

चरण नं 2 में वादीगण के पिता व पति लादू द्वारा प्रतिवादीगण नं 1 ता 3 को भूमि विक्रय करना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। क्योंकि वादीगण के पिता व पति लादू द्वारा उक्त भूमि के विक्रय का पंजीयन प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के हक में करवाने की दिनांक से लगभग तीन वर्ष पूर्व ही भूमि को विक्रय कर कब्जा मौके पर संभालकर प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को संभला दिया था। वाद पत्र का चरण नं0 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 ने वादीगण के पिता व पति लादू की सहमति व मौजूदगी में अपनी खरीदशुदा भूमि का बंटवारा अपने कब्जे के अनुसार ही करवाया है। वाद पत्र का चरण नं0 4 पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद पत्र का चरण नं0 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 9 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 10 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः वादीगण की अभियाचना अ, ब, स व द गलत है, अस्वीकार है। वादीगण प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस कारण वादीगण का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे। **विशेष आपत्तियाः**–वादीगण के पिता व पति लादू द्वारा प्रतिवादीगण को वाद वर्णित भूमि उनके कब्जे अनुसार बेंचान की थी तथा मौके पर वादीगण के पिता व पति लादू के जीवनकाल से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व लादू ने अपनी–अपनी जगीनों पर निवास करने व जानवर बांधने के लिए मकान व बाडे का निर्माण कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 काबिज है। वादीगण ने भी अपनी भूमि पर पक्का मकान निर्माण कर रखा है तथा उसमें वादीगण निवास करते है। लादू की मृत्यु के बाद वादीगण के मन में बेईमानी आ गई है और वादीगण ने गलत तथ्य वर्णित करते हुए प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद पेश किया है। वादीगण के पिता व पति लादू ने जो विक्रय पत्र प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के हक में निष्पादित करवाये है उनमें भी प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को विक्रय की गई भूमि दक्षिण दिशा की ओर की हो ऐसा कभी पर भी उल्लेख नहीं किया

Scanned with CamScanner

है। इस कारण वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने प्रा. पत्र राजीनामा पेश किया जो इस प्रकार है–

1. उपरोक्त उनवानी वाद में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी भाईचारे को बनाये रखने के लिए राजीनामा कर लिया है।
2. वादीगण द्वारा चाही गयी अधियाचना के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्वीकार करते है। वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
3. ग्राम डाबरखुर्द के खाता संख्या 37 में वर्णित ख0नं0 1121/51 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1123/52 रकबा 0.07 है0 व खाता संख्या 29 में वर्णित ख0नं0 1120/51 रकबा 0.13 है0 सम्वत् 2074 से 2077 में प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम हुये अंकन को निरस्त फरमाया जावें तथा वादीगण का विधिवत बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड व सीट में अंकन किया जावें।
4. प्रतिवादीगण को वादीगण के पिता द्वारा दक्षिण की तरफ 12 फीट चौडे रास्ते की तरफ पर कब्जा किया गया था। उसी अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने दक्षिण दिशा की तरफ तामिरात की है।
5. वादीगण उक्त भूमि की तरमीम उत्तरी दिशा की ओर कराते है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई आपति नहीं है तथा
6. वादीगण के पिता लादू ने दिनांक 23.04.2010 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बाबूलाल व टोडरमल के ख. नं. 51 रकबा 0.43 है0 में से रकबा 0.20 है0 भूमि दक्षिण दिशा में तथा ख. नं. 52/1071 रकबा 0.22 है0 में से 0.07 है0 दक्षिण दिशा में भूमि विक्रय की तथा दिनांक 23.04.2010 को प्रतिवादी नम्बर 3 धर्मराज को ख. नं. 51 रकबा 0.43 है0 में से 0.13 है0 भूमि की दक्षिण दिशा के तरफ की विक्रय की गयी थी। वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकशत की भूमि आराजी ख. नं. 52/1071 रकबा 0.15 है0 उत्तरी दिशा व ख. नं. 51 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द में स्थित भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा जरिए एजेन्ट नोकर चाकर नहीं करे।

Scanned with CamScanner

अतः पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में उभयपक्ष अधिवक्ता ने राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करते हुए तथ्यो को देखा गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 4 में वादीगण सहखातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा अधियाचना अ में स्थित आराजी ख. नं. 52/1071 रकबा 0.15 है0 व ख. नं. 51 रकबा 0.10 है0 के वादीगण सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण की अधियाचना ब के ख0नं0 1121/51 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1123/52 रकबा 0.07 है0 व खाता संख्या 29 में वर्णित ख0नं0 1120/51 रकबा 0.13 है0 के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। अतः वादीगण अधियाचना 'ब' प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः वाके ग्राम डाबरखुर्द पटवार हल्का डाबरकलां तहसील देवली की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख. नं. 51 रकबा 0.10 है0 व ख. नं. 52/1071 रकबा 0.15 है0 में वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखते है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम डाबरखुर्द पटवार हल्का डाबरकलां तहसील देवली की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख. नं. 51 रकबा 0.10 है0 व ख. नं. 52/1071 रकबा 0.15 है0 में वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बांधा जरिए एजेन्ट, नौकर चाकर के नहीं करे। पावन्द रहे। वादीगण की अधियाचना ब के ख0नं0 1121/51 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1123/52 रकबा 0.07 है0 व खाता संख्या 29 में वर्णित ख0नं0 1120/51 रकबा 0.13 है0 के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं होने से अधियाचना 'ब' खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.02.2022 को सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

देवली

Scanned with CamScanner